न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 27/2017 (राजसमन्द आर्डर)

1. श्री नाथू पिता श्री बालू जी कालबेलिया निवासी रावों का खेड़ा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री बाबू पिता श्री नाथू जी कालबेलिया निवासी रावों का खेड़ा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्री लक्खु पिता श्री बालू ली कालबेलिया निवासी रावों का खेड़ा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता श्री पोखर जी कालबेलिया निवासी रावों का खेड़ा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द दि0 22–05–2017
प्रकरण संख्या 323/2013 प्रार्थना पत्र

———

उपस्थित :–1– श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

——————/——————

निर्णय **दिनांक 16–01–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपीलान्ट विपक्षी के विरूद्ध धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रावों का खेड़ा में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित आराजीयात कूल किता–3 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है, जो कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे की है। इन भूमियों के पास ही प्रार्थी की औद्योगिक रूपान्तरित आराजी संख्या 284 रकबा 12 बिस्वा भूमि भी स्थित है। प्रार्थी की कृषि भूमियों से विपक्षी का कोई लेना–देना नहीं है, फिर भी वे बेज़ा दखलन्दाजी करते है। अतएव प्रार्थी को मूलवाद के निस्तारण तक

विवादित आराजीयात में बेज़ा दखलन्दाजी नहीं करने की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाय।

उपरोक्त आवेदन का खण्डन का जवाब विपक्षीगण अपीलान्ट द्वारा पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के हक व अधिकार व कब्जे की नहीं है। बल्कि यह भूमि विपक्षी संख्या–1 के पिता पोखर ने विपक्षी संख्या–1 को अपने जीवनकाल में ही दी दी थी, जो पिछले 30 वर्षो से अधिक समय से विपक्षी इस भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज है। भूमि गलत रूप से पोखर के नाम दर्ज हो गई थी, जबकि इस भूमि को विपक्षी संख्या–1 के नाम पर नियमन करने के आदेश तहसीलदार राजसमन्द ने किये थे। जिसकी राशि 03–12–1971 को जमा करवा दी थी। प्रार्थी का इस भूमि पर कब्जा नहीं होने से अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार द्वारा विवादित भूमियां प्रार्थी के नाम नियमन किया गया था। जिसकी राशि उसने 03–12–1961 को जमा करवा दी थी तथा पिछले 40 वर्षो से वह इस भूमि पर काबिज है। अतएव प्रार्थी के विरूद्ध उसे अस्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22–572017 को राजस्व लोक अदालत में उक्त प्रकरण को रखा जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 21–11–2017 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि उसे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी 13–11–2017 को रेस्पोन्डेन्ट के पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज कराने के कारण हुई एवं उक्त जानकारी से अन्दर मयाद अपील पेश की जा रही है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया। प्रकरण में अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की और से अधिवक्ता श्री अक्षय पालीवाल ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण

होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अपीलान्ट का 30 वर्षो से कब्जा होने व वर्ष 1971 में भूमि उसके नाम नियमन होने के तथ्यों को नजर अन्दाज कर उसे बिना सुने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों तत्वों पर विचार किये बिना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि यह तथ्यपूर्ण है कि प्रकरण में लोक अदालत में अपीलान्ट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को बहस के लिए पर्याप्त 15 अवसर दिये गये है। यह तथ्यात्मक स्थिति है कि रेस्पोन्डेन्ट प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार है, वहीं अपीलान्ट विपक्षी 30 वर्षो से उसका कब्जा होना बताता है, परन्तु उसके नाम पर नियमन होने अथवा कब्जा उसका होने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इन परिस्थितियों में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार प्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण मानने में कोई त्रुटि नहीं की है। प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के स्थान पर रेस्पोन्डेन्ट प्रार्थी का होने से अपीलान्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दिया जाना भी उचित है। प्रथम दृष्टया प्रकरण जब अपीलान्ट के पक्ष में नहीं हो तो सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलान्ट के पक्ष में माने जाने का कोई आधार नहीं रहता। अतएव अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध प्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने तथा अपीलान्ट विपक्षी की काउण्टर अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज किये जाने में हम कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22–5–2017 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर